रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 3—सितम्बर 9, 2017, शनिवार/भाद्र 12— भाद्र 18, 1939

No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 3—SEPTEMBER 9, 2017, SATURDAY/BHADRA 12— BHADRA 18, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 272.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन **सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हेड कांस्टेबल (पायोनियर)** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, **हेड कांस्टेबल (पायोनियर) भर्ती नियम, 2017** है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद–संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि: भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. षिथिल करने की षक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवष्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा षिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विषेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुलग्नक–1

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हेड कांस्टेबल (पायोनियर)	09* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन योग्य	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 4 (रु. 25500-81100/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित षैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और षैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दषा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टि के सम्बन्ध में समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति – केन्द्रीय सषस्त्र पुलिस बलों/केन्द्रीय पुलिस संगठनों/राज्य पुलिस/सरकारी सेवकों में से – क) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।

ख) वेतन मैट्रिक्स–3 (रु.21700–69100/-) में ऐसे कांस्टेबल (पायोनियर) जिन्होंने मूल काडर में पांच वर्ष नियमित सेवा की हैं और जिनके पास संकर्म शाखा या अनुभाग में तीन वर्ष का अनुभव हैं । **वांछनीय –** क) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अपेक्षित व्यवसाय में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ख) मिस्त्री या बढ़ई या नलसाज या बिजली मिस्त्री या लोहार या वेल्डर या पेन्टर या पॉलिषर के व्यवसाय में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण–1** किसी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान या मान्यताप्राप्त संस्था से व्यवसाय प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। **टिप्पण–2** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण–3** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/17/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th August, 2017

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Head Constable (Pioneer)** in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, **Head Constable (Pioneer),** Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Annexure-I

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Constable (Pioneer)	09* (2017) *Subject to variation dependent on work	General Central Service Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the Pay Matrix	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : From among Central Armed Police Forces/Central Police Organisations/State Police/Government servants (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre, (b) Constable (Pioneer), in level 3 of the pay matrix with five years regular service in the parent cadre and possessing three years experience in works branch or section. **Desirable:** (a) Polytechnic Diploma in required trade from a recognized Institute, (b) two years experience in the trade of a Mason or Carpenter or Plumber or Electrician or Blacksmith or Welder or Painter or Polisher, **Note-1:** Preference will be given to those who have a certificate of trade from an Industrial Training Institute or recognised institution. **Note-2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed three years. **Note-3:** The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. 23011/17/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.